

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, धौलपुर

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/शा.शि. ग्रेड-111/सी.म./बो-1/2017-18/दिनांक 29.11.2019 के द्वारा राज् कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 111 नती परीक्षा 2018 के पद हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र (non esp) के पदो हेतु नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किया जाने के फलस्वरूप राज्य से बाहर से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता प्राप्त निम्नांकित सूची में आवंटित आशार्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 111 को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन मान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल -10 में प्रवेशानर ट्रेनी (परिवेक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रवेशान अवधि पर नियमानुसार दैय नियत मानदेय 23700 रुपये/माह विद्यमान वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जा कर उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन स्थान पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 111 के रिक्त पद पर पद स्थापित किया जाता है।

S. No.	Merit No.	Roll No.	Name	F_Name	DOB	Sel. Cat	Address	Posting place	Block	Candidate photo
1	2800	510373	JUMA KHAN	JINNA KHAN	01-Aug-90	OBC	VILLAGE NANGAL RATAWAT POST MACHDI TEH-ALWAR PIN 301001 DISTT ALWER	GOVT..U.P.S. RAHAL(08080204903)	BARI	

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्राधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अशदायी पैशन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक-प.17(8)शिक्षा-2/2013 जयपुर दिनांक 15.11.2019 में वर्णित दिशा निर्दानुसार दिनांक 07.12.2019 को आयोजित परामर्श शिविर में पदस्थापन कर संबंधित संस्थाप्रधान को आदेशित किया जा रहा है कि इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अम्पथी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त शरिख संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एव स्लाम थिकिल्ता अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा इनके अभाव में किसी भी अम्पथी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवकत कार्मिको हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2/85 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अम्पथी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानी के फलस्वरूप कुल संतानी की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 50/-रुपये को नॉनज्युडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अम्पथियों के मामले में विवाह पंजियन प्रमाण पत्र अथवा विवाह पंजियन अनिवार्य करने संबंधी प्राधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधि आशय का 50/- रुपये के नॉनज्युडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. परिवेक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रावीशान ट्रेनी)की अवधि में फिक्स रैमूनेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महगाई भत्ता,भत्ता,किराया भत्ता,शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता,महगाई वेतन(डीपी),विशेष वेतन,योनस आदि देय नहीं होगा।
5. परिवेक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रावीशान ट्रेनी)की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
6. परिवेक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रावीशान ट्रेनी)की अवधि में इन्हे कल्पवृक्ष वर्ष में केवल 15 दिना का आकरात्मिक अथकारा वित्त विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
वित्त विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रवेशान ट्रेनी के फिक्स रैमूनेशन से नवीन पैमाने अशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
7. आवेदन पत्र के साथ संलग्न अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक आयु जाति आशय सम्बन्धी व अन्य आवश्यक पमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्र की प्रति से मिलान कर उसकी एक-एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे कोई भिन्ता / सदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करते हुये अग्रिम आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करावे।
8. जो अम्पथी बी पी ई (सीन वर्गीय पाठ्यक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते हैं उनकी एन सी टी ई से मान्यता नहीं होने के नियुक्ति के पात्र नहीं माने गये हैं। यदि कोई अम्पथी उक्त योग्यताधारी है तो संबंधित को कार्यग्रहण न कराया जाकर मूल आवेदन पत्र टिप्पणी सहित इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
9. यदि किसी अम्पथी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्तक्षरित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्था प्रधान के हस्तक्षरित/प्रमाणीकरण की पुष्टि किये जाने एव उनकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही उन्हें कार्यग्रहण कराया जावे।
10. अन्य विच्छेदा वर्ग का स्लाम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाणपत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये महिला आवेदक के मामले में यदि पति के नाम एव पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है परन्तु अम्पथी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। यह सुनिश्चित करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करावे। विपरीत परिस्थिति में इस कार्यालय को अवगत करावे।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अम्पथी का मूल आवेदन पत्र पर घस्या फोटो से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि नियुक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति वही है जिसका आवेदन पत्र पर फोटो घस्या है।
12. चयनित अम्पथियों की नियुक्ति आदेशर प्रसारित विद्यार्थि शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-111 नती परीक्षा 2018 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णय के अन्वयेधीन रहने।
13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अम्पथी ये यह शपथ पत्र लेवे की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं दस्तावेज सही है। इनके वृष्टिपूर्ण, जाली, अथवा कूटस्थित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
14. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अम्पथी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प 7(3)कार्मिक/क-06/पार्ट दिनांक 4.10.2013 के अनुसार धुषण एवं गुटका सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनक्रावता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
15. चयनित अम्पथियों को पदस्थापन से पूर्व उनकी पात्रता,आयु एवं आशय संबंधी समस्त दस्तावेजों की जाँच आवश्यक रूप से करे।




श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/शाशि ग्रेड-111/सीम/घो-1/2017-18 /दिनांक 29.11.2019 के द्वारा राज कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 111।।। मर्ती परीक्षा 2018 के पद हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र (non tsp) के पदो हेतु नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किया जाने के फलस्वरूप राज्य से बाहर से शैक्षिक/प्रशिक्षिक योग्यता प्राप्त निम्नांकित सूची में आवंटित आशार्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 111 को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन मान)नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल -10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन अवधि पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700 रुपये/माह विद्यमान वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जा कर उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन स्थान पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 111 के रिक्त पद पर पद स्थापित किया जाता है।

S. No.	Merit No.	Roll No.	Name	F_Name	DOB	Sel. Cat	Address	Posting place	Block	Candidate photo
--------	-----------	----------	------	--------	-----	----------	---------	---------------	-------	-----------------

- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अर्थियों से कार्मिक विभाग की अघि सूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.02.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधि बचनबधिता(न्दकमतजापदह) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।
- राज्य से बाहर की प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षिक योग्यता वाले अर्थियों के अतिरिक्त मात्र उपरोक्त अर्थियों की नियुक्ति पर कार्यग्रहण की अंतिम तिथि दिनांक 20.12.2019 होगी। नियत अवधि में कार्यग्रहण न करने पर नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी। सस्था प्रधान कार्यग्रहण की तत्काल सूचना इस कार्यालय को भिजवायेगे।
- शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक ग्रेड 111 सीधी परीक्षा-2018 में माननीय उच्च न्यायालय में विद्याराधीन विभिन्न याधिकाओ में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयो के अग्र्यधीन होगी।


आदर्श आचार सहिता में राज्य चुनाव आयोग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति अनुसार उक्त आदेश जारी किये जा रहे है। नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर दिनांक 07.02.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। अर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचना सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस इनकी सेवा समाप्त की जावेगी।


जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक धौलपुर

दिनांक :- 28.01.2020

क्रमांक:जिशाअमुना/घो/संस्था/2019-20/शा0शि0अनुदेशक ग्रेड तृतीय/सी0म-2018/2019/995
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर।
- श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर।
- जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक धौलपुर।
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति धौलपुर/बाडी/बसेडी/राजाखेडा/सैपऊ
- संबंधित संस्था प्रधान
- संबंधित शा0शि0 अनुदेशक ग्रेड तृतीय
- रक्षित पत्रावली ।


जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक धौलपुर